अनुलग्नक I

निम्न आय आवास वित्त परियोजना के बारे में

रा.आ.बैंक- विश्व बैंक: निम्न आय आवास वित्त परियोजना (एसडीआर **66.10** मिलियन)

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक की साझेदारी में शहरी गरीबों को उनकी आवास जरूरतों के लिए निधियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रा.आ.बैंक को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) से 5 वर्ष की अवधि हेतु 66.10 मिलियन (100 मिलियन यूएसडी के समतुल्य) का ऋण प्राप्त करेगा, जिसे उन पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (क्यूपीएलआई) के द्वारा प्रदत्त खुदरा ऋणों के पुनर्वित्त हेतु उपयोग किया जाएगा। तत्पश्चात, दिनांक 14 अगस्त, 2013 को निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किया गया:

क) परियोजना करार- आईडीए और रा.आ.बैंक के बीच

ख) वित्तपोषण करार- भारत सरकार और आईडीए के बीच

ग) सहायक ऋण करार- भारत सरकार और रा.आ.बैंक के बीच (दिनांक 04.10.2013 को हस्ताक्षरित)

परियोजना का उद्देश्य: निम्न आय परिवारों हेतु उनके आवास इकाईयों की खरीद, निर्माण या उन्नयन हेतु सतत आवास वित्त तक पहुंच प्रदान करना।

लक्षित उधारकर्ता: इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थी निम्न आय वाले परिवार हैं, खासतौर पर वो जिनकी आय अनौपचारिक है एवं जिनके आवास अनौपचारिक हैं। लक्षित समूह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के तौर पर वर्गीकृत शहरी गरीब हैं। प्राथमिक उधारकर्ताओं की पात्र आय प्रति वर्ष 300,000/- रू. की आय सीमा से अधिक नहीं होगी।

इस परियोजना के तीन घटक हैं:

घटक I – *क्षमता निर्माण* (आईडीए द्वारा वित्त पोषित 2.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर):

इस घटक के अंतर्गत, रा.आ.बैंक, पात्र मध्यस्थ संस्थान एवं क्यूपीएलआई की क्षमता को मजबूत करने हेतु गतिविधियों को वित्त पोषित किया जाएगा।
रा.आ.बैंक निम्न आय आवास वित्त के संबंध में रा.आ.बैंक के भीतर क्षमता निर्माण को शामिल करते हुए समानांतर वित्त पोषण में $2.5 अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा।

घटक II – *सतत एवं किफायती आवास हेतु वित्तीय सहायता* (आईडीए द्वारा वित्त पोषित 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर):

यह घटक प्राथमिक उधारकर्ताओं को उनके आवास इकाईयों की खरीद, निर्माण या उन्नयन हेतु क्यूपीएलआई के द्वारा दिए गए निम्न आय आवास ऋणों को पात्र मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु रा.आ.बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। रा.आ.बैंक अपनी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं पर क्रेडिट एक्सपोजर लेता है। घटक II में नीचे दर्शाए अनुसार निम्न आय उधारकर्ताओं की चार श्रेणियों में पुनर्वित सहायता शामिल है:

	औपचारिक आवास इकाई	अनौपचारिक आवास इकाई
औपचारिक क्षेत्र आय	वेतनभोगी उधारकर्ताओं को घर खरीदने या निर्माण हेतु प्रतिभूत ऋण *(आवंटन - 5%)*	वेतनभोगी उधारकर्ताओं को घर खरीदने या निर्माण हेतु वैकल्पिक संपार्श्विक के उपयोग से प्रतिभूत ऋण
अनौपचारिक क्षेत्र आय	अनौपचारिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को घर खरीदने या निर्माण हेतु प्रतिभूत ऋण *(आवंटन - 50%)*	अनौपचारिक क्षेत्र के उधारकर्ताओं को घर खरीदने या निर्माण हेतु वैकल्पिक संपार्श्विक के उपयोग से प्रतिभूत ऋण *(आवंटन - 45%)*

घटक III – परियोजना कार्यान्वयन (आईडीए द्वारा वित्त पोषित 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

इस परियोजना के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु, कानूनी मुद्दों एवं शिकायत निपटान हेतु जिम्मेदार बनाने हेतु, सामाजिक एवं वातावरणीय 'समुचित सावधानी' क्यूपीएलआई की वार्षिक तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा का आयोजन शामिल) के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु, परियोजना के परिचालन मैनुअल को अद्यतित करने और वित्त प्रबंधन एवं कोई भी अपेक्षित खरीद हेतु रा.आ.बैंक के भीतर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना की जाएगी। घटक I के अंतर्गत परामर्शदाताओं की सेवाओं की खरीद हेतु तकनीकी इनपुट प्रदान करने हेतु निम्न आय आवास विशेषज्ञ भी पीआईयू में शामिल किए जाएंगे। पीआईयू में रीअसाइन्ड एवं नए रा.आ.बैंक कर्मी एवं परामर्शदाता नियुक्त होंगे।

रा.आ.बैंक 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समानांतर वित्त पोषण प्रदान करेगा जिसमें पीआईयू प्रबंधन, एम एंड ई, विधि, शिकायत निपटान एवं वित्त प्रबंधन कार्य के साथ-साथ प्रशिक्षण के आयोजन, सामाजिक एवं वातावरणीय दिशा-निर्देश को मजबूत करने (साक्षरता प्रशिक्षण) हेतु रा.आ.बैंक कर्मी शामिल है। रा.आ.बैंक कर्मी द्वारा परियोजना पर बाह्य संचार भी शामिल होंगे। अंत में, रा.आ.बैंक अपने खुद के बजट के भीतर प्रसार एवं संचार गतिविधियों जैसे कि सम्मेलन या कार्यशाला हेतु जिम्मेदारी भी लेगा।

यथा 30.09.2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी निधियों का ब्यौरा:

(मिलियन में)

जारी करने की तिथि	एसडीआर में मूल्य	यूएसडी में मूल्य	भारतीय रूपए में मूल्य
25-मार्च-14	3.21	4.95	302.33
25-अप्रैल-14	2.01	3.12	189.33
9-जन.-15	0.38	0.54	34.55
31-मार्च-15	1.40	1.93	120.79
23-मार्च-16	15.97	22.32	1483.82
28-सिंत.-16	16.37	22.91	1527.95
16-जून-17	7.20	9.94	638.70
19-जून-17	9.15	12.65	813.07
22-अग.-17	6.31	8.90	569.96
23-मार्च-18	1.22	1.77	115.61
27-सित-18	0.46	0.64	46.35
कुल	**63.68**	**89.67**	**5842.46**

यथा 30.09.2018 को विश्व बैंक अग्रेषित पीएलआई वार दावों का ब्यौरा

(मिलयिन में रू.)

क्र.सं.	पीएलआई का नाम	संवितरित राशि
1.	आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड *	2167.95
2.	आर्ट अफोर्डेबेल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	79.00
3.	कैन फिन होम्स लिमिटेड	53.51
4.	डीएचएफएल वैश्य हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	2.32
5.	एडेलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	22.50
6.	इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	63.58
7.	गृह फाइनेंस लिमिटेड	1771.52
8.	होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	270.00
9.	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन	97.33
10.	इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	50.00
11.	इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	772.26
12.	मास रूरल हाउसिंग एंड मॉर्टगेज फाइनेंस लिमिटेड	20.00
13.	माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन	135.88
14.	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	244.94
15.	सेवा गृह ऋण लिमिटेड	16.60
16.	सुंदरम बीएनपी परिबास होम फाइनेंस लिमिटेड	3.47
17.	टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	110.00
	कुल	**5880.86**

* पूर्व में एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था

@@@